निर्णय बईजलास सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 ०५ / अपील / 19

बजरंग पुत्र भंवरलाल धोबी नि0 बकानी तहसील बकानी (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बकानी निर्णय दिनांक 28.12.2018
मिसल न0 439 / 18

उपस्थितः— श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांकः29.03.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 28.12.2018 जो मिसल न0 439 / 18 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम बकानी की आराजी ख0न0 1762 / 1216 रकबा .01 बीघा किस्म चरागाह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3000 / —रू0 जुर्माना तथा 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपीलार्थी को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट की मोजूदगी में पेमाईश नही की गई है, अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करादी है व कब्जा छोडने का प्रमाण पत्र न्यायालय में पेश कर देगा। अपीलान्ट को गिरफ्तार कर दिनांक 25.03.2019 को जेल भेज दिया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड दिया गया है। अपीलान्ट वर्तमान में दिनांक 25.03.2019 से जेल में सजा भुगत रहा है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में पेनल्टी की राशि की जमा रसीद प्रस्तुत की गई। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा गेर मुमकीन रास्ते पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर मिसल न0 5153 दिनांक 14.12.2017 से पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा पेनल्टी की राशि जमा करवादी गई है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में दिनांक 25.03.2019 से सिविल कारावास की सजा भी भुगत रहा है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार बकानी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर से अतिक्रमण हटा लिया गया हो व पेनल्टी की राशि जमा करवादी गई हो तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर अपील में अपीलान्ट को भुगती हुई सिविल कारावास की सजा से शेष कारावास की सजा को माफ किया जाता है शेष निर्णय यथावत रहेगा। किन्तु यदि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर से अपना अतिक्रमण नही हटाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रहेगा। तहसीलदार बकानी को निर्णय की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2019 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़